



DHANIRAM

MEMORIAL PUBLIC SCHOOL

ANNEXURE-III

Society Registration Certificate and bye laws

K. S. Das
DIRECTOR
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Berpal, Korba (C.G.)

[Signature]
सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र
(विषय E के अंतर्गत)
छतीसगढ़ शासन



सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

संख्यांक: 24701

यह प्रमाणित किया जाता है कि धनोत्तर मेमोरियल सोसायटी का नाम

सोसायटी, जोस्टेशन रोड, सीतामढ़ी कोरबा

तहसील कोरबा जिला कोरबा में स्थित है।

छतीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 (वि.सं. 20) के अंतर्गत

तारीख 11/09/2014 को रजिस्ट्रीकरण की गई है।



Principal
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

(अधिकारी का हस्ताक्षर)
सोसायटी रजिस्ट्रार

सचिव
छतीसगढ़ नगरपालिका समुदाय सोसायटी
कोरबा (ज.ग.)

① दृष्टा माधव शंकर नीन टाईल्स स्थल प्रतिमा मडिणहो

(नियम 3 देखिये)

970
315116 ✓

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सांसाइटी का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम दानीशम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी (S.P.R.N) होगा।

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय कोरवा
तहसील कोरवा जिला कोरवा में स्थित होगा और
इसका पता स्टेशन रोड जीतामढी कोरवा होगा।

3. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-
- 01. (1) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संवर्धन करना
 - 02. (2) छात्र-छात्राओं का समग्र विकास करना
 - 03. (3) आधुनिकता एवं श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करना
 - 04. (4) राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना
 - 05. शिक्षा के साथ-साथ अंस्कार पर विशेष ध्यान देना

सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों, समिति या शास. -निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पता तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :-

अनुक्रमांक (1)	नाम <u>सत्य प्रतिलिपी</u> (2)	पता (3)	उपजीविका (4)
01.	डॉ. बंशीधर महतो	स्टेशन रोड कोरवा	पैकिंग
02.	श्रीमती कौशल्या देवी	स्टेशन रोड कोरवा	महणी
03.	श्री विकास रंजन महतो	स्टेशन रोड कोरवा	ठेकेदार
04.	श्रीमती लोबनी महतो	स्टेशन रोड कोरवा	महणी
05.	डॉ. वित्ठल रंजन महतो	स्टेशन रोड कोरवा	पैकिंग
06.	श्रीमती अनुश्रुति महतो	स्टेशन रोड कोरवा	महणी
07.	श्रीमती अनिता कौशिक	बजेड मलद्वार कोरवा	महणी
08.	श्रीमती सुषमा जायलवाल	गोथ परियोजना	शिक्षिका
09.	श्रीमती आशा खोसला	जगतीपाली	महणी
10.	श्रीमती हेममता जायलवाल	बैंगलौर	महणी



Principal
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Bargali, Korba (C.G.)

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान-ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये हैं, जपरोक्त प्रतिष्ठान-ज्ञापन के अनुसार में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुक्रमांक	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम	संस्थान क्रमांक	हस्ताक्षर	
नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/मोहल्ला/प्रसंगिक विवरण/फाइलिंग क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	
01.	डॉ. बंशीधर महतो	रत जी धनीराम	रमेश बेट कोखा	<i>[Signature]</i>
02.	श्रीमती कौशल्या देवी	डॉ. बंशीधर महतो	रमेश बेट कोखा	श्री. रमेश कोखा
03.	श्री. विद्याल रंजन महतो	डॉ. बंशीधर महतो	रमेश बेट कोखा	<i>[Signature]</i>
04.	श्रीमती रोहनी महतो	श्री. विक्रम रंजन महतो	रमेश बेट कोखा	Rohini
05.	डॉ. विक्रम रंजन महतो	डॉ. बंशीधर महतो	रमेश बेट कोखा	Anita
06.	श्रीमती अनुभूति महतो	डॉ. विक्रम रंजन	रमेश बेट कोखा	Anita
07.	श्रीमती अमिता कौशिक	श्री. दिनेश कौशिक	रमेश बेट कोखा	Anita
08.	श्रीमती सुषमा जामलवार	श्री. नीलकंठ	गेवा परियोजना	<i>[Signature]</i>
09.	श्रीमती आशा गोर्खाल	श्री. सुरज कुमार	बज्र-घा-प-भारजमनीपाली	<i>[Signature]</i>
10.	श्रीमती हंगलता जामलवार	श्री. सत्येंद्र कुमार	बैंगलौर	Hemlata



सत्य प्रतिनिधि

तारीख

प्रति.

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार
 सहायक पंजीयक
 फर्म एवं संस्थाएं
 राजीव गांधी चौक, नरहामांछ
 बिलासपुर (छ.ग.)

साक्षी *[Signature]*
 हस्ताक्षर

नाम राजकुमार देवांगन
 पूर्ण पता राजानान साई मंदिर
 के पीछे बुधवरी बाजार कोखा
 जिला कोखा (छ.ग.)
 सचिव

[Signature]
 सहायक पंजीयक
 फर्म एवं संस्थाएं
 राजीव गांधी चौक, नरहामांछ
 बिलासपुर (छ.ग.)

DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
 Barpali, Korba (C.G.)

घनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
 कोखा (छ.ग.)

प्रमाणित प्रति
 क्र. 22/15.11.6 का क्रमांक 94
 दिनांक 24/2/14
 प्रमाणित प्रति लिपि जारी होने तक

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

13AA 354294



R 24701
11/9/14

सचिव

[Handwritten Signature]
3/15/14
सहायक प्रिंसिपल
पत्र एवं स्तर-आएं
जननीय वल्लभ-सिंह बिलासपुर

[Handwritten Signature]

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUB. IC SCHOOL
Berpalli, Korba (C.G.)

[Handwritten Signature]
सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

11-2014

नियमावली

970
31/5/14

कृपया पारंपरिक अनुसार तीन राईएस स्कूल को ज्ञान पत्र प्रस्तुत है।

संस्था का नाम श्री धनीराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल धनीराम मेमोरियल होगा।

संस्था का कार्यालय कोरबा

मन 46 मोहल्ले का नाम सुरेश चंद सीतामती कोरबा

तहसील कोरबा जिला कोरबा

छत्तीसगढ़

संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण इलाहाबाद विलासपुर संभाग 94704

संस्था सदस्य

पंजीयन क्रमांक
पंजीयन दिनांक
संशोधन दिनांक
संशोधन दिनांक

(जो ज्ञान पत्र में अंकित हैं वही लिखें)

- (1) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं स्थापना करना
 - (2) छात्र-छात्राओं का समस्त विकास करना व उसमें श्रेष्ठता की शक्ति प्राप्त करना
 - (3) आधुनिकतम एवं श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करना
 - (4) राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना
 - (5) शिक्षा के साथ-साथ संस्कार पर विशेष ध्यान देना
- सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।



सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 2000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा। **सत्य प्रतिलिपी**

आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 1000 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 1000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति 500 माह रुपये 600 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों क छ माह तक देय चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र की स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Baspali, Korba (C.G.)

2014/2015

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH



13AA 354297

R 24701
11/5/14

[Handwritten Signature]
31/5/14
सहायक बजट अधिकारी
पब्लिक एवं संस्थाएं
राज्यीय कार्यालय बिलासपुर

विद्यालय अधिकारी

[Handwritten Signature]

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Bursali, Korba (C.G.)

[Handwritten Signature]

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो. (2) भारतीय नागरिक हो. (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो. (4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो. (5) महिला मंडल/महिला स्वसहायता समूह में केवल महिला ही सदस्य बन सकेंगे।

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मर्ये हो जाने पर, (2) पागल हो जाने पर, (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर, (4) स्थाग-पत्र देने पर ओर वह स्वीकार होने पर, (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने को सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9 संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यारे दर्ज किये जावेंगे :-

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर

पंजीयन क्रमांक 247
पंजीयन दिनांक 11/01/19
संशोधन दिनांक
फाइलिंग का दिनांक

सहायक प्रिन्सिपल

सत्य प्रतिलिपी



10 (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, बैठक का माह होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी, बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा, संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर जुलाई बुलाई जावेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का जेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी, बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगति की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी, विशेष संकल्प पारित हो जोन पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा, पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना, (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना, (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो, (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना, (छ) बजट का अनुमोदन करना।

Principal
DILANIRAN MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम ममोरियल इन्डियन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)
Dabho

कारिणी का गठन :- नियम 5 (अ.ब.स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में हैं बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा.

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष, (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2.

प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा.

प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आषय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना.

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन-संस्था भुगतान करना. संस्था की चल-चल सम्पत्ति पर लगने वाले कर-आदिभुगतान करना.

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों अदि की नियुक्ति करना.

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए.

(व) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी.

(ख) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर-संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी.

(ग) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी. साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा. अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा.

उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा.

सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्ती आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना.

(2) समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना.

(3) समिति के सारे कामजातों को तैयार करना तथा करवाना. उनका निरीक्षण करना न अनियमितता पाये जाने पर उसी सूचना प्रबंधकारिणी को देना.

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपरेखा व्यय करना का अधिकार होगा.

पंजीयन क्रमांक 2017
 दिनांक 11/5/17
 कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों का सूचीकरण का दिनांक

सचिव पंजीयक

सत्य प्रतिलिपि



PRINCIPAL
 DEANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
 Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
 धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
 ओरछा

2017/5/17

संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपरिस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा.

कोशाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना.

20. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी. धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोशाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोशाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपयें 10000 रहेंगे.

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा संयुक्त नियत शुल्क के साथ भेजेगी.

सत्य प्रतिलिपि

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन दिनांक

24/7/19

11/11/19

22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की संशोधन विधियों के 2/3 भागों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीयक के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी.

23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी.

25. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि का किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट-आफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाओं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ यही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

27. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा. यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर

प्रस्तावित प्रतिनिधि निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा.

शुल्क 28/11/19
दिनांक 28/11/19
पंजीयक 24/7/19
द्वारा पंजीयक को संस्था की मूल बस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी होने के दिनांक

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

पंजीयक एवं संस्थाएं

सचिव
धनिराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)